

9/12/25

पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यो मे व्यस्त है। मिसल ईस्तबा होकर दिनांक 17/12/25 को पेश हो।

17/12/25

जायें वकील उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यो के व्यस्त होने के कारण ईस्तबा होकर दिनांक 07/01/2026 को पेश हो।

07/01/26

पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यो मे व्यस्त है। मिसल ईस्तबा होकर दिनांक 12/01/26 को पेश हो।

12/01/26

पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यो मे व्यस्त है। मिसल ईस्तबा होकर दिनांक 20/01/26 को पेश हो।

20/01/26

जायें व वियार्थ संख्या-01 के वकील उपस्थित। वियार्थ वकील द्वारा दूर में जाकर पेश कर जायें के आदेश अनुसार जायें के आदेश के विन्दु 01 से 06 तक किया गया है। जायें वकील की वरस को हुआ गया। जायें का आदेश व वरस को हुआ है। जायें से जायें मंका रेकॉर्ड की रिपोर्ट को जायें से जायें मंका रेकॉर्ड किया गया। जायें जायें का आदेश एवं मंका जायें रिपोर्ट को वकील किया जाकर आदेश मंका से लिखा जाकर शांति 4519 की किया गया। जायें की मंका शुमा होकर जायें नम्बर 4 कम हो, 11/2/26 1/2/26 हो।

उपखण्ड अधिकारी वायसु  
जिला-वाडमेर



# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बायतु

(पीठासीन अधिकारी श्री कल्पित शिवरान R.A.S.)

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थी

1. रुपों पत्नि पीराराम जाति जाट  
निवासी ग्राम जूण्ड दक्षिण पटवा  
हल्का संतरा तहसील गिड़ा जिला  
बालोतरा।

1. रामाराम पुत्र वीराराम निवासी  
ग्राम जूण्ड दक्षिण पटवा हल्का  
संतरा तहसील गिड़ा जिला  
बालोतरा।
2. तहसीलदार गिड़ा।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956.



## निर्णय

दिनांक : 20.01.2026


प्रार्थीनी रुपों पत्नि पीराराम की ओर से वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी द्वारा रेकॉर्ड दुरस्ती का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पेश किया।

प्रार्थीनी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीनी व विप्रार्थी संख्या 01 की पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा जूण्ड दक्षिण पटवार हल्का सन्तरा तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर क्रमशः 74, 76 रकबा क्रमशः 0.1052, 16.7054 हैक्टर की आई हुई है। उक्त पैतृक भूमि में प्रार्थीनी के पति के फौतगी नामान्तरण भरते समय रुपों देवी पत्नी पीराराम के स्थान पर सरु बाई पत्नी पीराराम अंकित कर दिया गया। अतः राजस्व रेकॉर्ड में सरु बाई पत्नी पीराराम के स्थान पर रुपों देवी पत्नी पीराराम करने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. स.	ग्राम	खसरा संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	जूण्ड दक्षिण पटवार हल्का सन्तरा तहसील गिड़ा	74, 76	सरु बाई पत्नी पीराराम	रुपों देवी पत्नी पीराराम

तहसीलदार, गिड़ा आदेशानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करें।

  
कल्पित शिवरान (S.D.O.)  
सहायक कलक्टर (S.D.M.) बायतु